न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री अनूप सिंह (आर.ए.एस.)

कम्प्यूटर आई.डी. 2020 / 00091
मुकदमा नम्बर 39 / 2020

दिनांक–03–03–2020

भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी ठाकूरवाली ढाणी तन नवलडी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

– प्रतिवादी

वकील वादी : – श्री दयाराम सैनी
वकील प्रति॰ :– राज. पैरोकार

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्तीर रिकॉर्ड
अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक 21.01.2021

वादी द्वारा एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सैनीनगर की सरहद में खाता संख्या नया 93 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित है, जिसके आगे वाद में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वर्तमान में वादी व उसके सह–खातेदार किशोर, बनवारी पुत्रगण चुन्नीलाल, दुर्गी देवी पत्नी चुन्नीलाल, खूबाराम, भागीरथ, महादेव पुत्रगण मुकन्दा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चली आ रही है। उक्त वाद में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी सम्बन्धित कोई विवाद नही है, सिर्फ वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पवर राजस्व रिकार्ड में बोदूराम गलत रूप से दर्ज हो गया, इसी का ही विवाद है। नकल जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात् दावे के साथ प्रस्तुत है। उपरोक्त वर्णित भूमि वादी के खातेदारी काश्त की भूमि रही है, जिस पर वादी अपने हिस्से 1 / 8 पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है और आबाद है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर गलत रूप से बोदूराम दर्ज कर दिया जो बदस्तुर राजस्व रिकार्ड में गलत चला आ रहा है। जबकि वादी का वास्तविक व सही नाम भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल है। वादी का नाम लोक दस्तावेजात यथा राशनकाड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र उपरोक्त समस्त दस्तावेजात में वादी का नाम भगवती प्रसाद दर्जशुदा है, जो सही व वास्तविक नाम है। परन्तु राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भगवती प्रसाद के स्थान पर गलत रूप से बोदूराम दर्ज कर दिया जो लगातार बदस्तूर राजस्व रिकॉर्ड में गलत चला आ रहा है। अब वादी ने पटवारी हल्का से दिनांक 28.02.2020 को जमाबन्दी की नकल प्राप्त की और वादी ऋण लेने हेतु बैंक गया बत बैंकवालो ने बताया कि आपके अन्य दस्तावेज में आपका नाम भगवती प्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

नाम दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड मे आपका नाम बोदूराम दर्ज है, तब वादी को इस गलत राजस्व रिकार्ड के बारे में पता चला। इसलिए उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 93 के अन्तर्गत खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 1.11 हैक्टर वाके ग्राम सैनीनगर मे वादी का नाम बोदूराम के स्थान पर भगवती प्रसाद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

बिनाय दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी जब वादी ऋण लेने हेतु बैंक गया तब बैंकवालों ने बताया कि आपका नाम अन्य दस्तावेजात में भगवती प्रसाद दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में बोदूराम दर्ज है। इस पर पटवारी हल्का से राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 28.02.2020 को प्राप्त करने के रोज बमुकाम सैनीनगर पैदा हुआ अदालत बाला को हक समायत हासिल है। दावा बाबत घोषणार्थ एवं दुरूस्ती रिकॉर्ड का होने से पूर्ण कोर्ट 4/– रूपये पर पेश किया है। प्रतिवादी भूमिधारक होने से प्रतिवादी को आवश्यक पक्षकार है इसलिये वाद–पत्र में प्रतिवादी बनाया गया है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष के संबंध मे निवेदन किया गया है कि वाद बहक वादी डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आश्य की फरमायी जावे कि ग्राम सैनीनगर की सरहद मे खाता संख्या नया 93 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टर मे वादी का नाम गलत रूप से दर्ज बोदूराम के स्थान पर भगवती प्रसाद दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावे। अन्य सिद्धी जो चाही जाने से हर गई हो और वादी के हक में पडती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पेरोकार उपस्थित। राज पेरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत सहमति एवं अभिशंषा की गई है कि ग्राम सैनीनगर की सरहद में खाता संख्या नया 93 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टर की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में वादी का नाम बोदूराम पिता चुन्नीलाल हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम भगवती प्रसाद पिता चुन्नीलाल की जांच की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड में प्रार्थी का नाम भगवती प्रसाद पिता चुन्नीलाल दर्ज है तथा मजमे आम में पुछताछ करने पर प्रार्थी का का सही नाम भगवती प्रसाद पिता चुन्नीलाल बताया गया है। अतः मजमे आम की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का सही नाम भगवती प्रसाद पिता चुन्नीलाल राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है।

जवाब देही पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। बहस बगौर समाहत की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बोदूराम पुत्र चुन्नीलाल दर्ज रिकार्ड किया हुआ है। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राशनकाड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में वादी का सही नाम भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल अंकित किया गया है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा अपने जवाब में वादी का नाम स्थान भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल सही होना अंकित किया है तथा नाम दुरूस्त करने हेतु सहमति एंव अभिशंषा भी की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं जवाब तहसीलदार नवलगढ़ के आधार पर बोदूराम पुत्र चुन्नीलाल तथा भगवती प्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति दो नाम होना जाहिर होता है। वादी का सही नाम भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल होना साबित होता है। वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

स्वीकार किया जाता है। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नही है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम सैनीनगर की सरहद में खाता संख्या नया 93 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टर में वादी का नाम बोदूराम पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21–01–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनूप सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6, 7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

अनूप सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

दावा बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्तीर रिकॉर्ड

अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

कम्प्यूटर आई.डी. 2020/00091

मुकदमा नम्बर 39/2020 (भगवती प्रसाद बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **अनूप सिंह** (आर.ए.स.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **21–01–2021** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम सैनीनगर की सरहद मे खाता संख्या नया 93 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 152, 153, 189, 190, 200 रकबा क्रमशः 0.02, 0.50, 0.22, 0.10, 0.27 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टर में वादी का नाम बोदूराम पुत्र चुन्नीलाल के स्थान पर भगवती प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे।

जिन..........–........... मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–...... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **21** माह **01** सन **2021** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	09.00		0.00

Scanned by CamScanner